मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः18.01.2025

थाना पड़री क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कठिनई स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर से बेशकीमती अष्टधातु की श्रीराम , लक्ष्मण व जानकी जी की प्राचीन मूर्ति(अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत ₹ 30 करोड़) की चोरी की घटना का सफल अनावरण, बोलेरो सवार 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार —

थाना पड़री, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः14.01.2025 को वादी वंशीदास गुरु महामण्डलेश्वर श्री जयराम दास जी महराज स्थित रामजानकी मंदिर कठिनई थाना पड़री जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मंदिर से श्रीराम, लक्ष्मण व जानकी जी की अष्टधातु की अतिप्राचीन मूर्ति चोरी हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पड़री पर मु0अ0सं0-08/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा उक्त चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना के सफल अवारण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी की मूर्तियों की बरामदगी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन-ओ0पी0सिंह एवं क्षेत्राधिकारी सदर-अमर बहादुर के नेतृत्व में सर्विलांस, एसओजी व थानाध्यक्ष पड़री को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के क्रम में थाना पड़री पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना में सुरागरसी-पतारसी एवं इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए आज दिनांकः18.01.2025 को सर्विलांस,एसओजी व थाना पड़री की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना पड़री क्षेत्रांतर्गत हाईमाई मंदिर के पास से बोलेरो सवार 04 नफर अभियुक्तों 1.वंशीदास(वादी मुकदमा) 2.लवकुश पाल 3.मुकेश कुमार सोनी व 4.रामबहादुर पाल को गिरफ्तार किया गया। बोलेरो सवार गिरफ्तार अभियुक्तो के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की गई बेशकीमती अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति कपड़ा श्रृंगार सहित श्रीराम जी वजन करीब-22.030 किग्रा, लक्ष्मण जी वजन करीब-22.430 किग्रा व जानकी जी वजन करीब-21.590 किग्रा, 02 अदद मुकुट(पीली धातु), 01 अदद हार(पीली धातु) व 01 अदद मछलीनुमा कुण्डल (पीली धातु) बरामद किया गया। थाना पड़री पर पंजीकृत मु0अ0सं0-08/2025 धारा 331(4),305(a),317(2),317(4),318(4),338,336(3),340(2),298,61(2)बीएनएस में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त बोलेरो अंकित वाहन संख्याःUP63AB9166(वास्तविक वाहन संख्याःUP63AP9166) का वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त वंशीदास(वादी मुकदमा) द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं लगभग 03 वर्षों से मंदिर की देखरेख कर रहा हूँ। मंदिर के स्वमित्व को लेकर मेरे गुरू महराज जयरामदास व सतुआ बाबा के बीच पूर्व से विवाद चल रहा है जब इस विवाद की मुझे जानकारी हुई तो मैं जयरामदास की मदद मे आ गया और जयरामदास जी ने मुझसे वादा किया था कि सतुआ बाबा से विवाद खत्म होने पर सारी सम्पत्ति का स्वामी तुम्हे बना दूंगा लेकिन 02 माह पहले मुझे यह जानकारी हुई कि जयरामदास यह गद्दी मुझे न देकर अपने भतीजे को देना चाहते है। तभी मैने प्लान किया कि मंदिर की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति चोरी कर बेचकर मैं कहीं दूर जाकर एक अपना अलग मठ बना लूंगा। वंशीदास ने अपने वाहन चालक लवकुश पाल के साथ मुकेश कुमार सोनी, रामबहादुर पाल सहित अन्य साथियों को रामजानकी मंदिर कठिनई दर्शन के बहाने लाकर मूर्तियो को दिखाया और मूर्ति की पहचान अष्टधातु के रुप में होने के उपरान्त वंशीदास(वादी मुकदमा) द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मूर्तियों की मंदिर से चोरी कर हाईमाई पहाड़ी मंदिर के पीछे छुपा दिया गया था। जिसे लेने के लिए आये थे कि पकड़े गए।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.वंशीदास उर्फ बृजमोहन दास उर्फ वंशीवटानन्द उर्फ मंगल पाल पुत्र नारायण पाल निवासी दसोपुर थाना कोईरौना जनपद भदोही(हाल पता वंशीवट श्री दामा जी का मन्दिर छारीमाठ थाना माठ जनपद मथुरा), उम्र करीब-27 वर्ष।
2.लवकुश पाल पुत्र गिरधारी लाल निवासी दसोपुर डीह थाना कोईरौना जनपद भदोही, उम्र करीब-22 वर्ष।
3.मुकेश कुमार सोनी पुत्र शिवशंकर सोनी निवासी पूरे नान्हा शुक्ल थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब-42 वर्ष।
4.रामबहादुर पाल पुत्र कल्लू निवासी डुबकी खुर्द जुड़ईपुर थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज, उम्र करीब-30 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

☐ बेशकीमती अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति (कपड़ा श्रृंगार सहित श्रीराम जी वजन करीब-22.030 किग्रा, लक्ष्मण जी वजन करीब-22.430 किग्रा व जानकी जी वजन करीब-21.590 किग्रा)

☐ 02 अदद मुकुट, 01 अदद हार व 01 अदद मछलीनुमा कुण्डल (समस्त पीली धातु)

☐ चोरी की घटना में प्रयुक्त एक अदद बोलेरो वाहन संख्याः UP63AP9166 (अंकित वाहन संख्याःUP63AB9166)

(समस्त अनुमानित कीमत ₹ 30 करोड़ 10 लाख)

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-08/2025 धारा 331(4),305(a),317(2),317(4),318(4),338,336(3),340(2),298,61(2)बीएनएस थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास —

A.अभियुक्त वंशीदास उपरोक्त —

1.मु0अ0सं0-114/2023 धारा 504,506 भादवि थाना पड़री जनपद मीरजापुर।
2.मु0अ0सं0-128/2024 धारा 420,447 भादवि थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

B.अभियुक्त मुकेश कुमार सोनी उपरोक्त —

1.मु0अ0सं0-111/2019 धारा 120बी, 396,412 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0-284/2020 धारा 2,3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

C.अभियुक्त रामबहादुर पाल उपरोक्त —

1.मु0अ0सं0-646/2020 धारा 188,267,270,283,34 भादवि, 3 महामारी अधि. व 51बी आपदा प्रबंधन अधि. थाना सिविल लाइन, प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

पड़री क्षेत्रान्तर्गत हाईमाई मंदिर के पास से,आज दिनांकः18.01.2025 को समय 08:15 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष पड़री दयाशंकर ओझा मय पुलिस टीम।
निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।
उप-निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह, प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।
उप-निरीक्षक बलिराम यादव, मुख्य आरक्षी अखिलेश कुमार सिंह ,मुख्य आरक्षी रणविजय कुशवाहा थाना पड़री जनपद मीजापुर।
मुख्य आरक्षी लालजी यादव, अनुप सिंह, अनिल पटेल, अमित सिंह, विवेक दूबे व प्रवीण कुमार एसओजी टीम।

पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल, परिक्षेत्र मीरजापुर द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को ₹ 40,000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।